

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक: 710 / 55 / आउशि / शाखा-5 "अ" / 2017

भोपाल दिनांक 08 / 06 / 2017

प्रति,

1. कुलसचिव समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय (07) म0प्र0 ।
2. संभागीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा (08)
3. प्राचार्य, समस्त शासकीय एवं अशासकीय / महाविद्यालय म0प्र0 ।

विषय — वार्षिक पद्धति के पाठ्यक्रमों के मूल्यांकन व अंकों का पुर्णनिर्धारण विषयक ।

संदर्भ — केन्द्रीय अध्ययन मण्डल की बैठक दिनांक 27 एवं 28 अप्रैल 2017 ।

विषयांतर्गत लेख है कि प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रमों में द्वि-प्रश्नपत्र प्रणाली में नियमित विद्यार्थियों के लिए 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन (10 अंक त्रैमासिक एवं 10 अंक छ: माही) के साथ 40-40 अंकों के सैद्धान्तिक दो प्रश्न-पत्र होंगे । इस तरह कुल 80 अंक सैद्धान्तिक प्रश्न पत्र के लिए रहेंगे । जिसमें वस्तुनिष्ट, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे । अमहाविद्यालयीन (स्वाध्यार्थी) विद्यार्थियों के लिए होगी जो नियमित एवं अमहाविद्यालयीन (स्वाध्यार्थी) होगी ।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए ।

सही/-

(नीरज मण्डलोई)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर



पृ० क्रमांक / अका. / 2017 / 1246

जबलपुर दिनांक २३/१९/२०१७

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित —

1. परीक्षा नियंत्रक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
3. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यगण ।
4. समस्त संकायाध्यक्ष / अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल ।
5. उपकुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
6. सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
7. अनुभाग अधिकारी, परीक्षा / गोपनीय विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
9. कुलपति जी के सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर ।

(डॉ० बी० भारती)

कुलसचिव,

[Signature]

[Signature]